मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

क्रमांक 20810 / पेड / 2015 / सूअ.,

इन्दौर, दिनांक 23 DEC 2015

आवश्यक सूचना

आयोग के निर्णय क्रमांक 34 दिनांक 4.08.2009 के अनुसार आवेदकों को उनके प्राप्तांकों की जानकारी अंतिम चयन घोषित होने के पश्चात् प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया है । अतः आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि जिन परीक्षाओं में अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों एवं साक्षात्कार के अंकों के योग के आधार पर घोषित किया जाना है । उन परीक्षाओं के आवेदकों को उनके प्राप्तांक /कट ऑफ अंक एवं उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित छाया प्रति साक्षात्कार के पश्चात् अंतिम चयनफल घोषित होने के पश्चात् ही प्रदाय की जावेगी । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अंतिम चयनफल घोषित होने के पूर्व प्राप्त ऐसे समस्त आवेदनों को अमान्य किया जाकर नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

2/ यह भी सूचित किया जाता है कि जिन परीक्षाओं में प्रारंभिक/प्राक्चयन परीक्षा होती है उन परीक्षाओं के अंकों की जानकारी प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् प्रदाय कर दी जाती है, क्योंकि उनके अंक अंतिम चयन परिणाम में नहीं जोड़े जाते हैं ।

(बी0एल0 कन्दोई)
सहा. लोक सूचना अधिकारी

लो.सू.अ. एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रारूप अनुमोदित